Shri P. Venkatasubbaiah: Which is the site selected now?

Shri C. Subramaniam: The site has not been finally selected.

Shri Balakrishnan: Why has the matter been pending for the last four or five years? What is the difficulty in coming to a decision soon?

Shri C. Subramaniam: Various tests have to be carried out because the use of lignite for smelting iron is a comparatively new process.

Textile Machinery Manufacturing Plants

\+

*574. { **Shri P. R. Chakraverti:** / **Shri P. C. Borooah:**

Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the textile machinery manufacturing plants in India are suffering due to shortage of coke and pig iron;

(b) if so, to what extent; and

(c) the steps being taken to improve the supply of these two commodities to the plants?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

There have been complaints from textile machinery manufacturing units about the short supply of pig iron. Against the demand of about 50,000 tonnes a year, the supply during the half year ending on the 31st October, 1963 was 16,560 tonnes. There is therefore a shortage of about 34 per cent.

2. There is a general shortage of pig iron in the country and any increase in supply to textile machinery manufacturing units is possible only if the total availability is increased, which is possible only through imports.

3. No specific complaint has been received in regard to shortage of coke. During 1963-64, the allotment has almost equalled the demand.

Shri P. R. Chakraverti: What steps have been taken by Government to make up the shortage of 34 per cent in pig iron?

Shri P. C Sethi: We are taking all possible steps. Even import of pig iron is being considered.

Shri P. R. Chakraverti: By what time do Government expect to fulfil the requirements of the industry?

Shri C. Subramaniam: This cannot be produced overnight. As hon. Members are aware, we were expecting the private sector to produce about 0·5 million tons of pig iron. But none of the licences has fructified. That is why, now we are taking steps in the public sector to produce the required quantity of pig iron.

SHORT NOTICE QUESTION

Famine in Rajasthan

\+

SNQ. 3. { **Shri Kapur Singh:** / **Shri Prakash Vir Shastri:** / **Shri Solanki:** / **Shri P. H. Bheel:** / **Shri Y. N. Singha:** / **Shri B. N. Singh:** / **Shri Narasimha Reddy:** / **Shri Yashpal Singh:** / **Shrimati Gayatri Devi:** / **Shri Ram Sewak Yadav:** / **Shri Onkar Lal Berwa:** / **Shri Bagri:** / **Shri Karni Singhji:** / **Shri Harish Chandra Mathur:** / **Shri Kishen Pattnayak:** / **Shri Bade:** / **Shri Kachhavaiya:** / **Shri Brij Raj Singh:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to a press report containing Shri Raj Bahadur's suggestion that chronic liability to famines of Rajasthan should be tackled by the Union Government as the State Government is not in a position to find adequate funds; and

(b) if so, whether Government would prepare a plan for supplementing the efforts of the State Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) The Third Finance Commission in determining the budgetary gap of each State in regard to assistance towards unforeseen expenditure on natural calamities such as famine, drought and flood had included in the expenditure estimates of the States the same provision for each year as was made by the Second Finance Commission. When any State incurs expenditure exceeding these limits, the excess expenditure is reimbursed by the Government of India to the extent of 50 per cent. The expenditure for Rajasthan has been fixed at Rs. 40 lakhs. Therefore, Central assistance to the extent of 50 percent of the expenditure that the State Government may incur exceeding Rs. 40 lakhs would be available to the State Government. Besides this, the Central Government is giving all possible assistance to the State Government in procuring fodder and hay and for improving watering facilities.

श्री कछवाय : जरा इस को हिन्दी में भी बतला दिया जाये क्योंकि हम को सवाल पूछने हैं ।

श्री बागड़ी : अंग्रेजी तो अपने को बोलनी आती नहीं, इस लिये हिन्दी में जवाब दिया जाय ।

डा० राम सुभग सिंह : (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय फाइनेन्स कमिशन ने बजट के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की उस में उन्होंने सुझाव दिया कि सूखा, कहत आदि में राज्य सरकारों की ओर से जो खर्च किया जाय उस में यदि राजस्थान सरकार का ४० लाख से ज्यादा खर्च हो तो भारत सरकार उस भार का ५० प्रतिशत वहन करेगी । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार व्यवस्था कर रही है कि घास भूसा वगैरह अन्य प्रदेशों से खरीद कर वहां भेजा जाय और पानी की भी व्यवस्था की जाय ।

Shri Kapur Singh: Since the permanent lag between the food demand and the regional agricultural produce, as well as the annual unfavourable weather conditions in Rajasthan, were well known to the Union Government in advance, what steps did they take to ward off the current acute famine conditions there?

Dr. Ram Subhag Singh: The hon. Member has used the words "current famine". The very words indicate that in Rajasthan, and in those particular areas of Rajasthan also, whenever there is favourable monsoon, there is a bumper crop. The moment it came to our notice that this year monsoon was about to fail, we consulted the State Government and helped them by sending some money and fodder.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राजस्थान में जो अकाल की भीषण स्थिति उत्पन्न हुई है वह समस्या केवल इस साल ही नहीं है बल्कि पहले भी राजस्थान में इसी प्रकार से भयंकर अकाल पड़ते रहे हैं । तो राजस्थान जैसे प्रदेश को बचाने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार कोई ऐसी लम्बी योजना बना रही है जिस से भविष्य में राजस्थान को अकाल की स्थितियों का सामना न करना पड़े, विशेषकर पानी की कमी को पूरा करने के लिये ।

डा० राम सुभग सिंह : उस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिये ही वहां राजस्थान नहर की व्यवस्था की गई । इस के अलावा जो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल डिवीजन है, उस की ओर से करीब १०० जगहों पर बड़े

नलकूप लगाने की व्यवस्था की गई है, जिस में करीब २० नलकूप बिल्कुल सफल हो चुके हैं और उन से भी ६०, ६५ हजार एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ जायेगी ।

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है उस के बारे में क्या वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्र के खाद्य मंत्री से बात चीत की । यदि हां, तो उन्होंने केन्द्र से क्या क्या सहायता मिल सकती है क्या इस के बारे में ध्यान दिलाया और उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : राजस्थान के मुख्य मंत्री १० तारीख को केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्री से मिले थे, पर इस कहत के बारे में उन की मुझ से चर्चा हुई थी ५ दिसम्बर को । इस के अलावा २८ और २९ जुलाई को भी मुझ से उन की बातें हुई थीं । हम लोगों की बात चीत के दौरान में जितनी चीजों की उस वक्त जरूरत समझी गई उन सारी चीजों की व्यवस्था जुलाई में ही करने की कोशिश की गई । लेकिन फिर वर्षा होने के बाद स्थिति कुछ सुधरी । आज भी उन से मेरी बात होगी और ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से जितने खास या भूसा का प्रबन्ध हो सका वह सब हम राजस्थान को. . . .

एक माननीय सदस्य: किन किन चीजों की मांग की गई है ।

डा० राम सुभग सिंह: घास, भूसा गल्ला आदि सारी चीजों की जरूरत है । जो कुछ हम से हो सका हम देने की कोशिश करेंगे ।

श्री लाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान के कितने क्षत्रों में अकाल पड़ गया है । साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि घास भूसा की व्यवस्था तो आप ने कर ली है लेकिन वहां के जो नागरिक हैं उन के लिये गवर्नमेंट ने क्या इन्तजाम किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : राजस्थान में जितने पशु पालने वाले लोग हैं, जिन को पानी के अभाव के कारण तकलीफ पहुंची है उन लोगों को और उस इलाके के और लोगों को भी बचाने के लिये कुछ फेअर प्राइस शाप्स खोली गई हैं । राजस्थान में इस वक्त करीब १६८ शाप्स इस तरह की हैं । पानी का भी इन्तजाम किया गया है । जो नलकूप हमारे हैं सारे उन के अधिकार में हम लोग दे देगें । माननीय सदस्यों को पता होगा कि पिछली बार जिन दिनों बहुत जोरों की धूप थी ६०० घन फुट पानी राजस्थान में छोड़ा गया था, और अब भी हम लोग यथाशक्ति प्रबन्ध करेंगे । नलकूपों से जितनी भी व्यवस्था की जा सकेगी, की जायगी । खाने के लिये जितने अनाज की जरूरत होगी, फेअर प्राइस शाप्स के जरिये उस का प्रबन्ध होगा राजस्थान, गुजरात और पंजाब गवर्नमेंट के सुझाव पर ही, लेकिन व्यवस्था हम लोग करेंगे ।

श्री बागड़ी : राजस्थान के काफी जिलों पर काल है और वहां की परिस्थिति बड़ी गम्भीर है । मैं माननीय खाद्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि अब तक जो इस अकाल ग्रस्त इलाके को सरकार की तरफ से अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया और अकाल-ग्रस्त घोषित न होने के कारण वहां पर अकाल का कानून जो का होता है, यानी फैमीन कोड, वह लागू नहीं हो सका जिस के कारण कितने ही लोग घर बार छोड़ कर चले गये और पशु मरे, क्या सरकार अपनी उस गलती को मिटा कर फौरी तौर पर उस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित करने को तैयार है । क्या मंत्री महोदय यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने आदमी और कितने इलाके इस अकाल की जद में हैं और उस के कारण कितने पशु मरे और कितने लोग घर छोड़ कर चले गये ।

डा० राम सुभग सिंह : राजस्थान के बारे में हम लोगों की वहां के मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री से जो बातें हुई हैं उन में न उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और

न यह कहा, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि बहुत बड़ी तादाद में पशुओं की मृत्यु हुई है। उन्होंने किसी भी पशु के मरने की इत्तला नहीं दी। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, उन्होंने जो लिखित पत्र हमें दिया, उस की ओर मैंने पंजाब के मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने वहां इन्तजाम कर दिया है, खास तौर पर माननीय सदस्य के जिले में वे प्रति पशु पीछे १० रु० दे रहे हैं चारे के लिये। हिसार और गुड़गांव में जहां नहरों की व्यवस्था है, उन सारी नहरों को उन जिलों में खोल दिया गया था। अगर थोड़ा भी माननीय सदस्य ने विशेष ध्यान दिया होता तो जो नहरें खोली गई थीं सूखे के दिनों में उन के किनारे पर जहां पानी पहुंच सकता था बोने की व्यवस्था कर पाते। लेकिन कुछ भी हो, आज भी मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि अगर एक भी पशु मरने की बात वे हिसार में बतलायें, या दूसरी जगह पर, तो हम उस का मार्जन करेंगे। दादरी में अभी चारार पहुंचा दिया जायेगा, और आज भी चाहें तो हम पहुंचवा देंगे।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि इस इलाके को अकाल का इलाका क्यों घोषित नहीं किया गया और कितने रकबे में . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अगर कोई माननीय सदस्य एक वक्त में ६ सवाल इकट्ठे करेंगे और उन में से कोई सवाल रह जायगा, तो मैं उस पर जोर नहीं दूंगा।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य सवाल तो यही था कि इस इलाके को अकाल ग्रस्त इलाका क्यों घोषित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने १५ सवाल एक में इकट्ठे कर दिये थे।

इन का सवाल यह था कि इस इलाके को अकाल का इलाका करार देने में क्या ऐतराज है।

डा० राम सुभग सिंह : ६ दिसम्बर को पंजाब राजस्थान और गुजरात के सारे सदस्यों को सूचना दे कर हम लोगों ने बातें कीं। इन को लिखित सूचना भेजी गयी थी, मगर माननीय सदस्य वहां हाजिर नहीं हुए। उस बातचीत में महेन्द्र गढ़, गुड़गांव, हिसार और करनाल के बारे में चर्चा हुई थी। ६ तारीख को यह यह चर्चा हुई और ७ तारीख को हन लोगों ने गुजरात, राजस्थान और पंजाब के मुख्य मंत्रियों से निवेदन किया कि आप ठीक समझें तो इस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित कर दें। यह काम राज्य सरकार का है। उन तक हमने जो सदस्यों की राय थी उसको पहुंचा दिया। हम ने उनसे यह भी कह दिया कि अगर वह इस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित करना ठीक समझते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री करणी सिंह जी।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री राम सेवक यादव : एक बहुत नहत्व पूर्ण सवाल है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री बागड़ी। मेरे अकाल के सवाल का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : जवाब आ गया।

Shri Karni Singhji: In view of the acute drinking water situation in the famine-stricken areas, what proposals do Government have for providing the most essential drinking water to the severely famine stricken areas in Rajasthan? May I know whether it is a fact that inspite of 75 Exploratory tube wells being sanctioned in the Third Plan for Rajasthan only 14 have been sunk so far and none of them so far.... (*Interruptions.*)

श्री बागड़ी : यह महा पाप है।

Dr. Ram Subhag Singh: It is a fact that our exploratory tubewell division selected 100 sites and the tubewells that have succeeded are about 20 in all the areas of Rajasthan from Jaisalmer up to Bikaner. As regards the supply of drinking water for cattle, we discussed this problem and we were told by the Agriculture Minister of Rajasthan that due to the recent rains about a few weeks ago there has been some relief because some water has been accumulated in the village tanks but we shall be watching the situation again. Wherever water is available, we shall depute our division to bore even the old wells which could be bored and we shall see that all the existing sources of water supply are properly tackled.

Shri Harish Chandra Mathur: Is the Government aware of the fact that inspite of per capita taxation in Rajasthan being higher than the All India average, the ways and means position of the Rajasthan Government is very unhappy and at the present moment their requirements for meeting the famine situation is not less than Rs. 5 crores? In the light of these does the Government want to stand rigidly by the formula which the hon. Minister enunciated here or will they take into consideration the realities of the situation and give real relief and if so what can be expected of the Central Government?

Dr. Ram Subhag Singh: The hon. Member is well aware of the administrative system and subject to the discipline of the Finance Ministry we shall do our best to see that no cattle is allowed to die.

श्री प० ला० बारूपाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां पर पानी खारा है वहां पर ट्यूब वैल्स भी काम नहीं कर सकेंगे और ऐसे इलाकों में राजस्थान नहर भी नहीं पहुंचती है । क्या ऐसे स्थानों पर पाइप द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, और कर रही है तो कब तक यह व्यवस्था हो जाएगी ?

डा० राम सुभग सिंह : उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है जहां १५०, या २०० या २५० फीट तक पानी खारा निकलता है, उन इलाकों में हम देखेंगे कि क्या ५०० फीट या इसके अधिक नीचे जाने पर अच्छा पानी मिल सकता है या नहीं । हम लोग आज पांच बजे राजस्थान के मुख्य मंत्री से बात चीत करेंगे । अगर उस समय श्री बारूपाल जी और माथुर जी भी आ कर हमको अपनी राय का लाभ पहुंचा सकें तो अच्छा होगा ।

Shri Harish Chandra Mathur: May I say that I wanted to ask the Minister whether he is aware of the fact that the Rajasthan Government is not in a position to spend even Rs. 40 lakhs as against the needed amount of Rs. 5 crores? If he is aware of this fact what is the decision he has taken in this matter?

Mr. Speaker: He invites hon. Members to be present when the hon. Minister will discuss the whole thing.

Shri Harish Chandra Mathur: He has not taken into consideration any of these factors.

Dr. Ram Subhag Singh: They say that they will make the necessary arrangements. I had known about the difficulties; they will not stand in the way of rendering relief. For Bikaner they have made a provision of Rs. 10.64 lakhs; for Barmer they have provided Rs. 9:74 lakhs. In that way for the twelve districts they have made a provision of about Rs. 40 lakhs.

श्री काशीराम गुप्त : इस अकाल का असर २७ लाख पशुओं पर पड़ा है ? मैं जानना चाहता हूं कि कितने पशु वहां से बाहर भेजे जा चुके हैं और कितने अब बाहर भेजे जा रहे हैं । और मैं चाहता हूं कि भविष्य के लिये योजना बनाकर वहां पर नहर से पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय ताकि आगे ऐसा संकट उपस्थित न हों ।

डा० राम सुभग सिंह : आज जो माननीय सदस्य २७ लाख पशुओं की बात कर रहे हैं,

यह आज के स्टेट्समैन में निकला है। सारे पशु बाहर नहीं जा सकते। अब तक कुल ६५ हजार पशु बाहर भेजे गए हैं, और जो बीकानेर के आसपास का बाड़मेर, जोधपुर आदि का इलाका है यहां के पशु तो बाहर नहीं भेजे जाते। यह वहां के लोग जानते हैं। मगर जहां से आ सकते हैं जैसे कोटा, भीलवाड़ा .....

अध्यक्ष महोदय : जो शाम को आप मीटिंग बुला रहे हैं उस में इन माननीय सदस्यों को भी बुला लें ताकि मुख्य मंत्री सारी बात सुन कर सही हल निकाल सकें।

श्री यशपाल सिंह : मैंने मोशन दिया था। दस दिन से रोजाना दे रहा हूं ...

अध्यक्ष महोदय : हर एक मेम्बर को यह जरूरी हक नहीं होता कि चूंकि उस ने नोटिस दे दिया है, इसलिये उस को बुलाया जाय। मैंने इस शार्ट नोटिस सवाल पर १७ मिनट दे दिये हैं। इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई है तो उसके लिये दूसरा तरीका है, आप बाकायदा डिसकशन के लिये मांग कर सकते हैं।

श्री बड़े : १७ मिनट तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे सकता।

श्री यशपाल सिंह : पांच करोड़ आदमियों की जिन्दगी का सवाल है, जिन लोगों को काल अटेंशन नोटिस दिए दस दस दिन हो गए .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जाए। अगर उनको इससे तसल्ली नहीं हुई है और वह इस पर डिसकशन चाहते हैं तो कोई और वक्त मांग सकते हैं। आखिर एक शार्ट नोटिस क्वेस्चन के लिये कितना वक्त दिया जा सकता है यह भी तो वह रियलाइज करें। अब माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री बागड़ी : यह मनुष्यों की जिन्दगी क सवाल है। लाखों आदमी और पशु भूखे मर रहे हैं।

श्री बड़े : एक ग्रुप तो रह ही गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर एक ग्रुप रह गया तो वह दूसरे तरीके से वक्त मांग सकते हैं। इस वक्त तो मैं और ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री बड़े : हमने तीनों तरीके अपना लिए हैं। एडजर्नमेंट मोशन दिया, कालिंग अटेंशन नोटिस दिया और शार्ट नोटिस क्वश्चन दिया। इस सब के बाद हमें और रास्ता नहीं दिखाई देता है। आज यह सवाल हाउस के सामने आया। हमारे पास इस सम्बन्ध में राजस्थान से सूचना आई है। हम उस बारे में सवाल पूछना चाहते थे। मैं तीन चार बार उठा, पर मैं ने हल्ला नहीं किया। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और अब जब मैं कहता हूं कि हमारे ग्रुप को समय दिया जाए, तो आप कहते हैं कि १७ मिनट हो गए हैं। यह महत्व का सवाल है। राजस्थान में अभी अकाल की घोषणा नहीं की गयी है। वहां हल्ला हो रहा है

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं ने सुन लिया।

श्री बड़े : मेरी विनती है कि मुझे समय दिया जाए। अगर समय नहीं दिया जाता तो पार्लियामेंट में आकर बैठने का कोई अर्थ नहीं होता। लोग हमसे कहते हैं हमने तुम को इतना लिखा और तार भेजे, पर तुम ने कोई सवाल तक नहीं पूछा और सही बात सदन के सामने नहीं रखी, इस तरह से वे हमारे ऊपर एस्परशन करते हैं। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। आप बैठ जाएं। आपने मेरे रोकने के बावजूद इतना कह दिया। अखबार वाले इसका नोट जरूर

ले लेंगे। और खास तौर पर अखबार वाले उस मेम्बर का नाम तो जरूर नोट करते हैं जो स्पीकर की परवाह नहीं करता। इसलिए आपका नाम कल के अखबारों में जरूर आ जाएगा। कल सब अखबारों में आ जायेगा। आप ने न किया हो वह तो बात दूसरी है लेकिन इस पर १७ मिनट डिस्कशन हो चुका है और बाक़ी जो बच रहते हैं उनको सवाल करने का कैसे मौक़ा दिया जा सकता है? वे किस तरीक़े से आ सकते हैं? मुझे इंकार नहीं है लेकिन आख़िर कोई हद तो होनी ही थी और इस पर हम १७ मिनट खर्च कर चुके।

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री यशपाल सिंह: जो इस में सिगनेटरीज़ हैं उनको तो सवाल पूछने के लिए टाइम मिलना ही चाहिए।

श्री कछवाय: अब इस सवाल पर किसी किसी सदस्य को तो छै, छै सवाल पूछने दिये गये और हम लोगों को एक भी सवाल पूछने का मौक़ा नहीं दिया जा रहा है..

अध्यक्ष महोदय: मैं ने किसी को भी छै सवाल पूछने नहीं दिये :

श्री कछवाय: कुछ लोगों ने एक ही सवाल में ६, ६ सवाल पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह गलत बात माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैंने किसी को ६ सवाल पूछने नहीं दिये।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Sir,—

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब बागड़ी जी का व्यवस्था का प्रश्न सुनिये।

श्री बागड़ी: मेरा अर्ज करने का मतलब है .....

अध्यक्ष महोदय: अर्ज करने की इजाजत मैं ने नहीं दी है। व्यवस्था का क्या सवाल है वह आप कर सकते हैं।

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैं इस शौर्ट नोटिस क्वैश्चन पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे ऐक महत्वपूर्ण सवाल पर, अकाल जैसी गम्भीर समस्या पर क्या एक ही सवाल। करने देना चाहिए? अगर इस प्रश्न पर दो, दो या तीन, तीन सवाल हो जाते तो हिन्दुस्तान का आर्थिक ढांचा अच्छे तरीक़े से चलता

अध्यक्ष महोदय: एक, एक का जब मैं ने सदस्यों को मौक़ा दिया तब तो इतने बाक़ी सवाल करने से रह गये लेकिनसमय १७ मिनट लग गया, अगर कहीं दो, दो या तीन तीन सवाल पूछने देता तो इस पर दो घंटे का डिबेट देना पड़ेगा। अब ज्यादा देर इस सवाल पर बहस की जा सके उसका तरीक़ा अलहदा है लेकिन शौर्ट नोटिस क्वैश्चन में इतना ज्यादा समय देना मुमकिन नहीं है।

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो फिर सरकार के खिलाफ़ वाकआऊट करता हूं।

Shri Bagri then left the House.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अफगानिस्तान को ऊनी माल का निर्यात

*५५०. **श्री विश्राम प्रसाद**: क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में सीमा शुल्क अधिकारियों ने अफगानिस्तान को ऊनी माल के निर्यात में जुलाई, १९६३ में गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो ये अनियमिततायें किस प्रकार की हैं; और